



मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने शुक्रवार को प्रदेश के प्रमुख शहरों एवं जयपुर शहर की यातायात व्यवस्था को लेकर उच्च स्तरीय बैठक ली। उन्होंने अधिकारियों को वर्तमान ट्रैफिक स्थिति को सुगम एवं सुचारु बनाने के निर्देश दिए।

जयपुर के प्रमुख चौराहों को सिग्नल फ्री करने की योजना बनायें

मुख्यमंत्री भजनलाल ने राजधानी की ट्रैफिक व्यवस्था पर बैठक में निर्देश दिये

जयपुर, 1 अगस्ता। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने जयपुर शहर की वर्तमान ट्रैफिक व्यवस्था को तुरंत सुगम एवं सुचारू बनाने के निर्देश दिए हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि यातायात संचालन हेतु भविष्य की आवश्यकताओं के दृष्टिगत दीर्घकालीन कार्ययोजना के लिए गृह एवं यातायात विभाग, जेडीए, शहरी विकास एवं आवासन व स्वायत्त शासन विभाग मिलकर सामूहिक जिम्मेदारी के साथ काम करें।

शर्मा शुक्रवार को मुख्यमंत्री निवास पर प्रदेश के प्रमुख शहरों एवं जयपुर

- मुख्यमंत्री ने कहा कि व्यापारियों व आमजन से सुझाव लेकर वन-वे ट्रैफिक व्यवस्था विकसित करें। मानसून के बाद हीरापुरा बस टर्मिनल से बसों का संचालन किया जाए।**

शहर की यातायात व्यवस्था को लेकर उच्च स्तरीय बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे। उन्होंने पुलिस एवं यातायात के अधिकारियों को निर्देश दिए कि आमजन को जागरूक करते हुए ट्रैफिक सेंस को बढ़ावा दिया जाए। मुख्यमंत्री ने बैठक में जयपुर शहर में वाहनों के सुगम संचालन

और जाम से राहत के लिए व्यापारियों एवं आमजन से सुझाव लेकर व्यवस्तम मार्गों पर वन वे ट्रैफिक संचालन की व्यवस्था विकसित करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि शहर के चिन्हित ऑटो और बस स्टैण्ड के स्थानांतरण को शीघ्र लागू किया जाए। इसी क्रम में हीरापुरा

बस टर्मिनल से मानसून के तुरंत बाद बसों का संचालन किया जाए। मुख्यमंत्री ने यातायात नियमों की सख्त पालना करने और उल्लंघन पर नियमानुसार सख्त कार्रवाई करने के निर्देश दिए। साथ ही, कहा कि वाहनों की बढ़ती संख्या को ध्यान में रखते हुए भविष्य में प्रमुख चौराहों को चिन्हित कर सिग्नल फ्री ट्रैफिक संचालन की कार्ययोजना बनायीं। बैठक में मुख्य सचिव सुधांशु पंत, पुलिस महानिदेशक राजीव कुमार शर्मा सहित, संबंधित विभागों के वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे।

ट्रंप को जवाब -भारत अमेरिका से एफ-3 5 लड़ाकू विमान नहीं खरीदेगा

वाइट हाउस में फरवरी 2025 में ट्रंप ने मोदी से ये विमान खरीदने की पेशकश की थी

नई दिल्ली, 1 अगस्ता। भारत और अमेरिका के बीच ट्रेड डील को लेकर लगातार चर्चा जारी है। हालांकि, इस बीच अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत पर 2५ फीसदी टैरिफ लगाने का ऐलान कर दिया है। हालांकि, इस बीच भारत की ओर से भी बड़ी खबर सामने आई है। रिपोर्ट के मुताबिक, भारत ने अमेरिका के एफ-३५ लड़ाकू विमान को खरीदने से इनकार कर दिया है।

ब्लूमबर्ग ने अधिकारियों के हवाले से जारी अपनी रिपोर्ट में कहा है कि अमेरिकी प्रोडक्ट्स की खरीद में तेजी लाने पर विचार करने के बावजूद, भारत सरकार द्वारा अमेरिका से एंटीशनल डिफेंस प्रोडक्ट्स खरीदने की संभावना नहीं है। ब्लूमबर्ग की ओर से जारी की गई रिपोर्ट के मुताबिक, भारत ने अमेरिका को सूचित कर दिया है कि वह एफ-३५ स्टील्थ लड़ाकू विमान खरीदने का इच्छुक नहीं है।

‘चाहे आप रिटायर ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)
अधिकारियों से निष्पक्ष और पारदर्शी तरीके से काम करना जारी रखने का आग्रह करता है। इन बयानों को नज़अंदाज करना ही सबसे अच्छा है।”
मंत्री किरेन रिजिजू ने भी राहुल गांधी के खिलाफ प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए कहा है कि वे भारत विशेषी बयान दे रहे हैं, जो उन्हें विपक्ष के नेता के रूप में नहीं करना चाहिए।

राहुल गांधी अगले सप्ताह कर्नाटक के अपने दौरे पर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित करेंगे, जहाँ उनसे चुनाव आयोग द्वारा वोट चोरी के संबंध में कुछ विस्फोटक खुलासे की उम्मीद

है। इस सब का निशाना है बिहार में मतदाता सुचियों का पुनरीक्षण और वो तरीका, जिससे बिहार में सत्तारूढ़ एनडीए को लाभ पहुंचाने के लिए लाखों मतदाताओं को सूचियों से हटा दिया गया है।

विपक्ष एसआईआर के मुद्दे को इसी सत्र में समाप्त कर देना चाहता है, ताकि चुनाव आयोग परिचम बंगाल जैसे अन्य चुनाव वाले राज्यों में भी ऐसा ही न करे। लेकिन यह स्पष्ट है कि राहुल की स्पष्ट और सटीक बात, और नरेन्द्र मोदी की सत्तारूढ़ पार्टी के खिलाफ आक्रामकता, मोदी और उनकी टीम के लिए चिंता का विषय बनती जा रही है।

राज्यसभा में सीआईएसएफ कर्मियों की उपस्थिति का विरोध

नई दिल्ली, 1 अगस्ता। विपक्ष ने राज्यसभा मेंविरोध प्रदर्शनों के दौरान सदन के बीचोंबीच केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल (सीआईएसएफ) के कर्मियों को भेजे जाने का आरोप लगाते हुए इसका कड़ा विरोध किया है और विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने उष सभापति हरवंश को पत्र लिख कर यह मुद्दा उठाया है। खड़गे ने सभी विपक्षी दलों की ओर से लिखे पत्र में कहा है कि कल और आज सदन में सदस्य जब विरोध प्रदर्शन कर रहे थे, उस दौरान दिखा कि सीआईएसएफ के कर्मी अंदर बीचोंबीच आ कर खड़े हो गये थे।

भी तरह के मुआवजे के हकदार नहीं है और उन्होंने समय-समय पर घोखाघड़ी और तथ्य छुपाकर भूमि पर मालिकाना हक पाने की कोशिश करी है और जागीरदारी अधिनियम के हटने और राजस्थान टनेन्सी एक्ट के लागू होने से पूर्व एक नाबालिग जागीरदार की जमीन हथियाने की कोशिश करी है। उन्होंने कहा कि जो पट्टा उनके द्वारा पेश करा गया वह भी कानूनी तौर पर त्रुटियों से भरा हुआ है। अदालत ने अपने आदेश में यह भी कहा कि टी.एन. साहनी कभी भी यह साबित नहीं कर पाए कि उन्होंने उक्त भूमि पर किसान बनकर हल चलाया। अदालत ने कहा कि 1९९० में दिये गये आदेश से जाहिर होता है कि अदालत ने भी त्रिलोकीनाथ द्वारा दिये गये तथ्यों को ‘फैस वैल्यू’ पर ही सही मान लिया और कभी भी भूमि अधिग्रहण अधिकारी को अदालत में नहीं बुलाया जिससे यह स्पष्ट हो जाता है कि उक्त भूमि कभी भी त्रिलोकीनाथ की नहीं थी। इसके साथ ही अदालत ने त्रिलोकीनाथ के वंशजों द्वारा मुआवजे की करोड़ों की मांग को भी खारिज कर दिया।

‘एसटी वर्ग की ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)
है कि कोई भी ऐसा कानून नहीं बनाया जा सकता, जो महिलाओं के खिलाफ भेदभाव पैदा करता हो। अनुच्छेद 14 महिलाओं के लिए समानता की गारंटी देता है।

याचिका में अधिवक्ता प्रहलाद शर्मा और अधिवक्ता लखन शर्मा ने बताया कि याचिकाकर्ता अपने पिता की इकलौती संतान है। उसने अपनी पैतृक संपत्ति में अपने अधिकारों की घोषणा के लिए उपखंड अधिकारी के समक्ष वाद दायर किया था। इस दौरान, प्रतिवादी ने हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम, की धारा २(२) के प्रावधानों के आधार पर सीपीसी के आदेश ७ नियम ११ के तहत अर्जी पेश कर वाद खारिज करने की मांग की। प्रतिवादी ने कहा कि यह अधिनियम एससी वर्ग के सदस्यों पर लागू नहीं

छात्रसंघ ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)
मांगा। इस पर अदालत ने राज्य सरकार को जवाब के लिए समय देते हुए प्रकरण की सुनवाई टाल दी।
याचिका में बताया कि विश्वविद्यालय के प्रत्येक छात्र को अपना प्रतिनिधि चुनने का संवैधानिक अधिकार है। सुप्रीम कोर्ट ने भी केरल विश्वविद्यालय के मामले में इसे मूलभूत अधिकार माना है। इसके साथ ही, सुप्रीम कोर्ट कह चुका है कि मूलभूत अधिकार को किसी कानून या कोर्ट आदेश से छीना नहीं जा सकता। वहीं, लिंगदोह कमेटी की सिफारिशों के तहत, हर साल छात्रसंघ चुनाव कराए जाने चाहिए। कमेटी की सिफारिश के अनुसार सत्र शुरू होने के छह से आठ सप्ताह के भीतर छात्रसंघ चुनाव हो चाहिए।

बिहार की पूर्व मतदान सूची में 22 लाख मृत पाये गये

पटना, ०१ अगस्ता। निर्वाचन आयोग के निर्देश पर बिहार में चलाये गये विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) अभियान के तहत आज मतदाता सूची का प्रारूप प्रकाशित किया गया, जिसके अनुसार पूर्व में सूची में जुड़े २२ लाख मतदाता मृत पाये गये।

निर्वाचन आयोग की ओर से जारी विज्ञप्त में जानकारी दी गयी कि बीएलओ की सहायता से कराये गये सर्वेक्षण में २२ लाख, ६९ हजार (२.८३ प्रतिशत) मतदाता मृत पाये गये, ३६ लाख, २८ हजार (४.५९ प्रतिशत) मतदाताओं के नाम अन्य स्थानों पर भी पंजीकृत पाये गये।

निर्वाचन आयोग के आधिकारिक सूत्रों के अनुसार, इस अभियान के तहत राज्य भर में बीएलओ के माध्यम से कुल सात करोड़, ८९ लाख, ६९ हजार, ८४४ गणना प्रपत्र मुद्रित करा कर संबंधित मतदाताओं के बीच वितरित किये गए थे। इनमें से १६ लाख से अधिक आवेदन ऑनलाइन माध्यम से किये गये।

शाहरुख खान, विक्रांत मैसी व रानी मुखर्जी को राष्ट्रीय पुरस्कार

दिल्ली में ७१ वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार की घोषणा

नयी दिल्ली , ०१ अगस्ता। किंग खान के नाम से मशहूर शाहरुख खान और अभिनेता विक्रांत मैसी को सर्वश्रेष्ठ अभिनेता तथा रानी मुखर्जी को सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री के राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया जायेगा।

राजधानी दिल्ली के नेशनल मीडिया सेंटर में शुक्रवार को ७१वें नेशनल फिल्म अवॉर्ड्स की घोषणा की गई। शाहरुख खान और विक्रांत मैसी को संयुक्त रूप से सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का राष्ट्रीय पुरस्कार दिया गया है। शाहरुख को उनकी फिल्म जवान और विक्रांत को १२वीं फेल के लिए अवॉर्ड मिला है। रानी मुखर्जी को फिल्म मिसेज चटर्जी वसेंज नॉर्वे के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री के राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया जायेगा। फिल्म ‘कटहल’ को सर्वश्रेष्ठ हिंदी फिल्म के लिये चुना गया है।

करण जोहर की ‘रॉकी और रानी की प्रेम कहानी’ को सुपूंग मनोरंजन के लिए सर्वश्रेष्ठ लोकप्रिय फिल्म का राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार मिला। विधु विनोद चोपड़ा निर्देशित ‘१२वीं फेल’ को सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म चुना गया, जबकि ‘द केरला स्टोरी’ के लिए सुदीप्तो सेन ने सर्वश्रेष्ठ निर्देशक का अवॉर्ड अपने नाम किया।

सामाजिक और पर्यावरणीय मूल्यों को बढ़ावा देने वाली सर्वश्रेष्ठ फीचर

ईडी ने अनिल अंबानी के खिलाफ लुकआउट नोटिस जारी किया

उन्हें १७००० करोड़ के लोन फ्रॉड व मनी लॉण्डरिंग के मामले में ५ अगस्त को पूछताछ के लिये बुलाया

नई दिल्ली, १ अगस्ता। अनिल अंबानी की मुश्किलें बढ़ ती दिख रही हैं। प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने अनिल धीरूभाई अंबानी ग्रुप (एडीएजी) के चेयरमैन के खिलाफ लुकआउट सर्कुलर (एलओसी) जारी किया है। इसका सीधा मतलब है कि उन पर देश छोड़ने पर रोक लगा दी गई है।

ईडी ने उन्हें १७,००० करोड़ रुपये के लोन फ्रॉड और मनी लॉन्ड्रिंग मामले में ५ अगस्त को पूछताछ के लिए बुलाया था। यह कार्यवाही मुंबई और अन्य शहरों में एडीएजी की कंपनियों से जुड़े ३५ से ज्यादा टिकानों पर ईडी की ओर से की गई छापेमारी के बाद हुई है। ईडी की जांच मनी लॉन्ड्रिंग रोकथाम अधिनियम (पीएमएएल) के तहत शुरू की गई है। जांच वित्तीय अनियमितताओं और लोन के गलत इस्तेमाल के एक जटिल नेटवर्क पर केन्द्रित है।

१७,००० करोड़ रुपये के कर्ज घोखाघड़ी और मनी लॉन्ड्रिंग मामले में लुकआउट सर्कुलर (एलओसी) जारी

- लुकआउट नोटिस तब जारी किया जाता है, जब जांच एजेन्सी को लगता है कि आरोपी व्यक्ति देश छोड़कर भाग सकता है या जांच में सहयोग नहीं कर रहा है।**

करना और यात्रा प्रतिबंध लगाना, यह दर्शाता है कि जांच एजेंसी इस मामले को कितनी गंभीरता से ले रही है। अनिल अंबानी के खिलाफ एलओसी जारी करना सामान्य कदम नहीं है। यह तब किया जाता है, जब जांच एजेंसी को लगता है कि आरोपी व्यक्ति देश छोड़कर भाग सकता है। या जांच में सहयोग नहीं कर रहा है।

इस कदम से सभी हवाई अड्डों और बंदरगाहों पर अलर्ट जारी हो गया है।

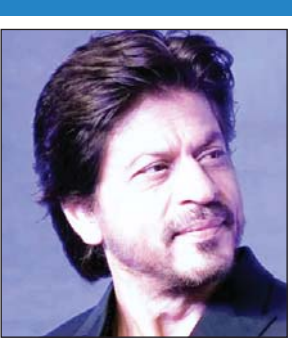
इससे अनिल अंबानी की विदेश यात्राओं पर रोक लग गई है। यह एक साफ संकेत है कि ईडी इस मामले की तह तक जाने के लिए हर संभव प्रयास कर रही है। वह अनिल अंबानी की उपस्थिति को सुनिश्चित करना चाहती है।

अधिकारियों का कहना है कि यह जांच सीबीआई की ओर से दर्ज एफआईआर और सेबी जैसे अन्य नियामक निकायों की रिपोर्ट पर आधारित है। ईडी की जांच में लोन के गलत इस्तेमाल के आरोपों पर ध्यान दिया जा रहा है। विशेष रूप से, २०१७ और २०१९ के बीच यस बैंक की ओर से अंबानी की ग्रुप कंपनियों को दिए गए ३,००० करोड़ रुपये के लोन पर सवाल उठाए जा रहे हैं।

जांचकर्ताओं ने कई अनियमितताओं की बात कही है। इसमें बैंकडेटेड क्रेडिट अप्रुवल, उचित जांच की कमी और विभिन्न ग्रुपों और शेल कंपनियों के फंड का गलत इस्तेमाल शामिल है।

शाहरुख खान, विक्रांत मैसी व रानी मुखर्जी को राष्ट्रीय पुरस्कार

दिल्ली में ७१ वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार की घोषणा



शाहरुख खान

फिल्म का पुरस्कार दिया गया ‘सैम बहादुर’ की वैभवशा और मेकअप के



विक्रांत मैसी

की प्रेम कहानी (हिंदी) के लिये कोरियोग्राफर वैभवी मंचेट को मिला।



रानी मुखर्जी

एंठ ह्यूमन को सर्वश्रेष्ठ वृत्तिचित्र का पुरस्कार मिला । विजयाधवन और मुथुपेट्टई सोमू भास्कर ने सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता तथा उर्वशी और जानकी बोडीवाला ने सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेत्री का पुरस्कार जीता। हनु-मान को (एनिमेशन, विजुअल इफेक्ट्स, गेमिंग और कॉमिक) में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार मिला। सर्वश्रेष्ठ लघु फिल्म का पुरस्कार गिद्ध द स्कैवेंजर को मिला।

कोर्ट ने पूर्व सांसद प्रज्वल रेवन्ना को रेप का दोषी माना

बैंगलुरु की विशेष अदालत में शनिवार को सजा सुनाई जायेगी

मैसूरु, १ अगस्ता। बैंगलुरु की एक विशेष अदालत ने शुक्रवार को जनता दल (सेक्युलर) के नेता और पूर्व सांसद प्रज्वल रेवन्ना को रेप के मामले में दोषी ठहराया गया है। यह मामला हासन जिले के होलेनरसिपुरा ग्रामीण पुलिस स्टेशन में उनके खिलाफ दर्ज पहला रेप केस था। प्रज्वल रेवन्ना के खिलाफ यह केस काफी चर्चा में रहा था। अब इस मामले में सजा का ऐलान शनिवार को होना है। बैंगलुरु की विशेष अदालत में इस मामले की सुनवाई हो रही है।

बैंगलुरु स्थित एमपी एमएलए की विशेष अदालत ने १८ जुलाई को दर्शाया कि शूलक के वास्तव में प्रभावी होने से पहले एक छोटी सी मोहलत अभी

- प्रज्वल रेवन्ना जनतादल (सैक्यूलर) के नेता हैं तथा हासन लोकसभा क्षेत्र के पूर्व सांसद हैं। वे पूर्व प्रधानमंत्री एच.डी. देवगौड़ा के पौत्र तथा कर्नाटक के पूर्व मंत्री एच.डी. रेवन्ना के पुत्र हैं।**

ली थी तथा अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था। सजा का ऐलान अब शनिवार (२ अगस्त) को होना है। रेवन्ना पिछले साल दर्ज किए गए चार आपराधिक मामलों में मुख्य आरोपी हैं। जब २,००० से अधिक अश्लील वीडियो विलप, जिनमें कथित तौर पर कई महिलाओं के यौन शोषण को दर्शाया गया था, सोशल मीडिया पर वायरल हुई

थी। रेवन्ना के खिलाफ पहली शिकायत अप्रैल २०२४ में एक महिला ने दर्ज कराई थी, जो उनके परिवार के फार्माहाउस में घरेलू सहायिका के रूप में काम करती थी। उसने रेवन्ना पर २०२१ से बार-बार बलात्कार करने और किसी भी भी घटना के बारे में बताने पर दुर्व्यवहार के वीडियो जारी करने की धमकी देने का आरोप लगाया था।

लेकिन यह लंबी अवधि में मदद नहीं करता है, सिवाय इसके कि प्रतिस्पर्धियों की कीमत पर बाजार में हिस्सेदारी बनाए रखने जाए या बढ़ाई जाए।

सोमवार, ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)
और कोर्ट के गलियारों में काफी भीड़ होती है। इसका मुख्य कारण यह है कि इन दिनों इन स्थानों पर बड़ी संख्या में वोटिंग मशीनें लगाई जा रही हैं। इसके अलावा, कई मामलों में, इंटर्नस बार के सदस्यों द्वारा अनुप्रेष किए जाने पर भी अपनी सीटें खाली नहीं करते हैं, जिससे वकीलों की और असुविधा होती है।”

^[1] राष्ट्रदूत (एचयूएफ) के लिए मुद्रक एवं प्रकाशक सोमेश शर्मा द्वारा राष्ट्रदूत प्रेस, जी1/६३ इंडस्ट्रीयल एरिया फेस प्रथम, जालौर, (राज.) से मुद्रित एवं प्रकाशित। संपादक-राजेश शर्मा, आर.एन.आई. नं. RAJHIN/2006/17286 जयपुर कार्यालय: सुधर्मा एम.आई.रोड, जयपुर। फोन: २३७२६३४, ४१०३३३३-३४, फैक्स: ०१४१-२३७३५१३, कोटा कार्यालय: पलायवा हाऊस, छत्रपति सिंघाजी मार्ग, कोटा। फोन: २३८६०३१, २३८६०३२,फैक्स:०७४४-२३८६०३३, बीकानेर कार्यालय: कुम्भाना हाऊस, हनुमान हवा, बीकानेर। फोन: २२००६६०, फैक्स ०१५१-२५२७३७१, उदयपुर कार्यालय: आनंद मेन रोड आनंद, उदयपुर। फोन: २४१३०९२, फैक्स : ०२९४-२४१०१४६, अजमेर कार्यालय: राष्ट्रदूत भवन, चूंगी नाका के पास, अजमेर। फोन: २६२७६१२, फैक्स:०१४५-२६२४६६५ जालौर कार्यालय :- जी १/६३, इन्डस्ट्रीयल एरिया, फेस प्रथम, जालौर।फोन22६४२२,22६४२३, फैक्स: ०२९७३-२२६४२४ हिण्डीनसिटी कार्यालय :- जी १-१०१, रीको औद्योगिक क्षेत्र, हिण्डीनसिटी। फोन: २३०२००, २३०४००, फैक्स: ०७४६९-२३०६०० सूूर कार्यालय : एच-१५०, रीको औद्योगिक क्षेत्र, चूरु, फोन : २५६९००६, २५६९००७, फैक्स: ०१५६२-२५६९००८